डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

NAAC A+

पत्रांक : सम्ब0/1161/2026 दिनांक : 02/04/2026

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः शासन के पोर्टल पर स्थायी/अग्रेत्तर सम्बद्धता हेतु किये जा रहे आवेदन के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पूर्व से संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्थायी/अग्रेत्तर सम्बद्धता हेतु शासन के पोर्टल पर दिनांक 22 मार्च, 2026 तक आवेदन/पंजीकरण किया जाना निर्धारित किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या सम्ब0/992/2026 दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अपेक्षित प्रपत्र/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा निरीक्षण मण्डल गठन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जा चुकी है, वे सभी महाविद्यालय निम्नलिखित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए अतिशीघ्र (अधिकतम 03 दिवस के भीतर) विश्वविद्यालय में स्वयं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें–

1. **भूमि सम्बन्धी खतौनी की सत्यापित प्रति।**
2. **भूमि लीज पर होने की दशा में लीज डीड की प्रमाणित प्रति।**
3. **सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।**
4. **प्रबन्ध समिति अनुमोदन पत्र की प्रमाणित प्रति।**
5. **संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शिक्षकों के अनुमोदन पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।**

साथ ही अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण मण्डल द्वारा महाविद्यालय का भौतिक स्थलीय निरीक्षण कराते हुए उसकी आख्या प्रत्येक दशा में ऑनलाइन अपलोड करने के साथ–साथ हार्ड कॉपी सील्ड लिफाफे में सदस्य–सचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय में दिनांक 10.04.2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने वाले महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण नहीं कराया जाता है, तो संबंधित महाविद्यालय किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय – माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं प्राचार्य, राजकीय कालेज (सदस्य–सचिव) निरीक्षण मण्डल।
3. अधिकृत एजेंसी– इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना समस्त महाविद्यालयों के लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Afflsvlett